

અધ્યાય-II

બજટીય પ્રબંધન

अध्याय - II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को प्रकट करता है, जिसमें अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, अनावश्यक अनुपूरक और बड़ी और निरंतर बचत जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमज़ोरियों को उजागर करता है, यथार्थवादी बजट, समय पर निधि का उपयोग आदि की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है। इसी प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानसभा के समक्ष रखवाएंगे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 15 अनुदान/विनियोग प्रबंधित किए। व्यय के अनुमान व्यय की 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों¹ को अलग-अलग दर्शाते हैं और राजस्व लेखाओं पर होने वाले व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदान की मांग'

¹ **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण चुकोती, आदि), रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि पर एक प्रभार का गठन करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी व्यय विधायिका द्वारा मतदान किए जाते हैं।

नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- ✓ वार्षिक वित्तीय विवरण
- ✓ अनुदान की मांग
- ✓ अन्य

2.2 बजट अनुमान और अपेक्षा और वास्तविक के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन को मज़बूत करने और राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग (वास्तविक व्यय और बचत) का विवरण तालिका 2.1 में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 2.1: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	57,655.70	1,414.32	59,070.02	47,081.85	11,988.17	7,672.31	64.00
	II. पूंजीगत	5,887.46	937.76	6,825.22	3,709.19	3,116.03	2,031.18	65.18
	III. ऋण और अग्रिम	4,255.51	2,318.57	6,574.08	2,876.04	3,698.04	1,550.93	41.94
कुल दत्तमत		67,798.67	4,670.65	72,469.32	53,667.08	18,802.24	11,254.42	59.86
प्रभारित	I. राजस्व	3,314.83	35.28	3,350.11	3,285.70	64.41	6.61	10.26
	II. पूंजीगत	31.95	33.10	65.05	44.09	20.96	2.31	11.02
	III. लोक ऋण	4,914.33	0	4,914.33	4,914.32	0.01	0	0
	IV. ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
कुल प्रभारित		8,261.11	68.38	8,329.49	8,244.11	85.38	8.92	10.45
आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		76,059.78	4,739.03	80,798.81	61,911.19	18,887.62	11,263.34	59.63

स्रोत: विनियोग लेखे

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय राजस्व शीर्षों (₹ 381.73 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 58.44 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियों पर विचार किए बिना सकल आंकड़े हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर व्यय करने के लिए ₹ 80,798.81 करोड़ की परिकल्पना की थी, जिसके प्रति संवितरण/व्यय ₹ 61,911.19 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,887.62 करोड़ की बचत हुई। ₹ 18,887.62 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 11,263.34 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया और शेष ₹ 7,624.28 करोड़ मार्च 2025 के अंत में व्यपगमित हो गए। इस प्रकार, विधायिका द्वारा अधिकृत बजट का 23.38 प्रतिशत रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा व्यय नहीं किया जा सका। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय का अनुमान लगाना अपर्याप्त बजटीय प्रक्रिया का सूचक था।

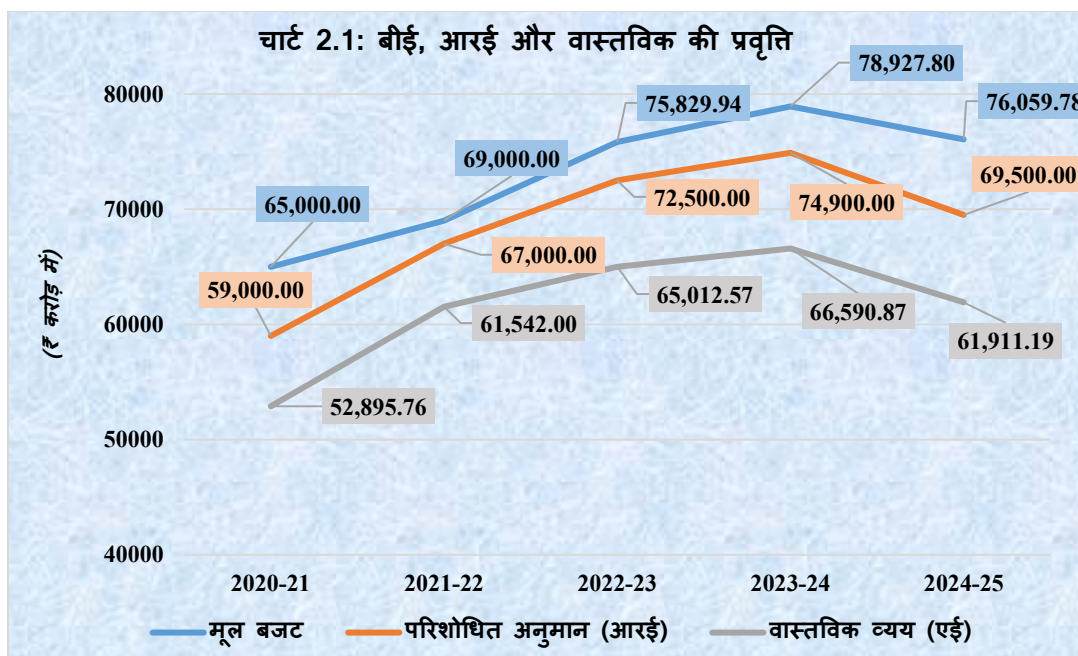
2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, परिशोधित बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां तालिका 2.2 में दी गई हैं:

तालिका 2.2: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, परिशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	65,000.00	69,000.00	75,829.94	78,927.80	76,059.78
अनुपूरक बजट	891.87	3,081.08	3,298.34	2,990.43	4,739.03
कुल बजट (टीबी)	65,891.87	72,081.08	79,128.28	81,918.23	80,798.81
परिशोधित अनुमान (आरई)	59,000.00	67,000.00	72,500.00	74,900.00	69,500.00
वास्तविक व्यय (ईई)	52,895.76	61,542.00	65,012.57	66,590.87	61,911.19
बचत/आधिक्य	12,996.11	10,539.08	14,115.71	15,327.36	18,887.62
मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता	1.37	4.47	4.34	3.79	6.23
कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता	19.72	14.62	17.84	18.71	23.38
टीबी-आरई	6,891.87	5,081.08	6,628.28	7,018.23	11,298.81
आरई-ईई	6,104.24	5,458.00	7,487.43	8,309.13	7,588.81
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (टीबी-आरई)	10.46	7.05	8.38	8.58	13.98
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (आरई-ईई)	9.26	7.57	9.46	10.14	9.39

स्रोत: बजट एक नज़र में और संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे



तालिका 2.2 और चार्ट 2.1 से पता चलता है कि 2020-21 से 2024-25 तक के वर्षों में, आरई हमेशा रा.रा.क्षे.दि.स. के टीबी से कम था। आरई और टीबी के बीच के अंतर ने पिछले चार वर्षों अर्थात् 2021-22 (7.05 प्रतिशत) से 2024-25 (13.98 प्रतिशत) के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधानों के 1.37 प्रतिशत से 6.23 प्रतिशत तक था। तथापि, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया। 2020-2025 की अवधि के दौरान कुल बचत बजट प्रावधानों के 14.62 प्रतिशत से 23.38 प्रतिशत तक रही।

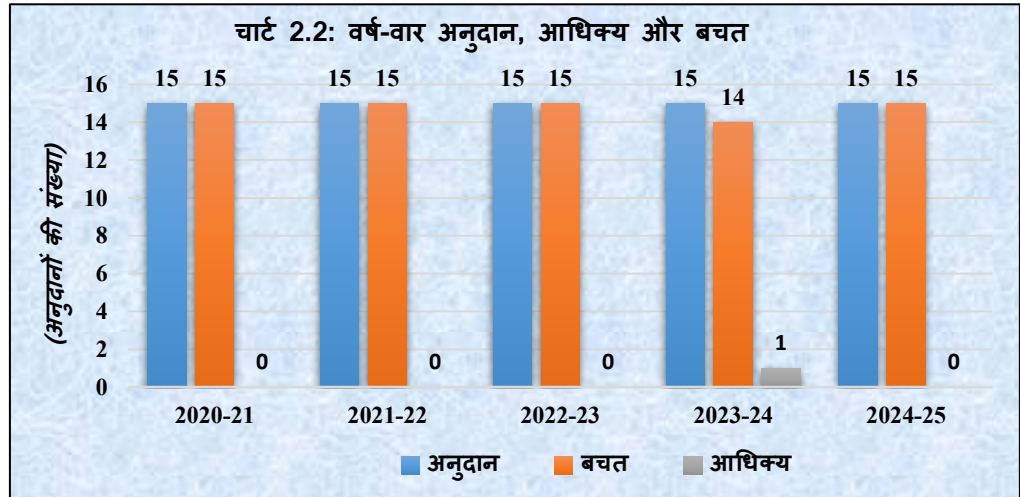
इसके अतिरिक्त, वास्तविक व्यय सभी पांच वर्षों में लगातार आरई से नीचे रहा, जो व्यय योजना में निरंतर अक्षमता का संकेत देता है। आरई-एई के बीच अंतर 2020-21 में ₹ 6,104.24 करोड़ और 2024-25 में ₹ 7,588.81 करोड़ था, जो दर्शाता है कि आरई के माध्यम से अर्ध-वार्षिक सुधार भी वास्तविक व्यय क्षमता के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं थे।

2.3 बजट लक्ष्यप्राप्ति

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आबंटन ने व्यय संरचना में किस हद तक भिन्नता में योगदान दिया है।

अनुदान, आधिक्य² और बचत का वर्ष-वार विश्लेषण रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बजट निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।



वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना आउटटर्न तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना कुल विचलन

(₹ करोड़ में)

खंड	कुल विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदान की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	20.29	0 से 25	06
		+ 25 से 50	04
		+ 50 से 100	02
		कोई प्रावधान नहीं	03
पूंजीगत (दत्तमत)	50.85	0 से 25	00
		+ 25 से 50	02
		+ 50 से 100	10
		कोई प्रावधान नहीं	03
राजस्व (प्रभारित)	1.92	0 से 25	02
		+ 25 से 50	05
		+ 50 से 100	05
		कोई प्रावधान नहीं	03
पूंजीगत (प्रभारित)	0.42	0 से 25	02
		+ 25 से 50	01
		+ 50 से 100	02
		कोई प्रावधान नहीं	10

² "आधिक्य" बजट प्रावधानों की अपेक्षा अधिक व्यय को सूचित करता है।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राजस्व (दत्तमत) खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 20.29 प्रतिशत था। यह छह अनुदान में 25 प्रतिशत तक, चार अनुदान में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और दो अनुदान में +50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। तथापि, राजस्व दत्तमत खंड में तीन अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, राजस्व प्रभारित खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 1.92 प्रतिशत था। यह दो अनुदान में 25 प्रतिशत तक, पांच अनुदान में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और पांच अनुदान +50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। तथापि, राजस्व प्रभारित खंड में तीन अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

पूंजीगत (दत्तमत) खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 50.85 प्रतिशत था। यह दो अनुदान में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और दस अनुदान में +50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत दत्तमत खंड में तीन अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, पूंजीगत प्रभारित खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन 0.42 प्रतिशत था। यह दो अनुदान में 25 प्रतिशत तक, एक अनुदान में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और दो अनुदान में +50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत प्रभारित खंड में दस अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिनियम, 1991 की धारा 29 और 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुदान (दत्तमत और प्रभारित) की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे **सकल आधार** पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पित राशियों और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा बजट की प्रभारित और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत है और संविधान के उपबंधों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत प्रभारित किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय इस प्रकार प्रभारित है। यह, यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

संक्षिप्त ब्योरा

सभी अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले कुल 40 मामलों में से, शीर्ष 20 मामलों की जांच विभागीय अभिलेखों के आधार पर की गई और इन मामलों के संबंध में बचत के कारण एक जैसे पाए गए। तथापि, एक मामले में (एम.एच. 4217.60.050.95-अनधिकृत कॉलोनियों का विकास), विभागीय अभिलेखों और विनियोग लेखाओं के बीच बचत में ₹ 0.90 करोड़ का अंतर देखा गया था।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्ति की समीक्षा हेतु विस्तृत जांच के लिए 'अनुदान संख्या 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' का चयन किया गया था। इस अनुदान के अंतर्गत, विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, लगातार बचत और व्यय की अधिकता के कारणों की भी जांच की गई और एक जैसे पाए गए।

2.5.1 अतिरिक्त व्यय और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए यह अनिवार्य है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदानों/विनियोगों की अपेक्षा आधिक्य के लिए नियमितता प्राप्त करे। यद्यपि इस अनुच्छेद के तहत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखाओं पर चर्चा पूरी होने के पश्चात अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण किया जाता है।

(क) पिछले वित्त वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल से नियमितीकरण के लिए लंबित पिछले वर्षों से संबंधित अतिरिक्त संवितरण तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.4: नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान सं./ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय
2023-24	13	पेंशन- (राजस्व-दत्तमत)	0.68
कुल			0.68

स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए इस अतिरिक्त व्यय को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता है और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

2.5.2 अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए

रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिनियम, 1991 की धारा 30 के अंतर्गत मूल प्रावधानों से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

अनुपूरक मांग का सहारा केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, वि भाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध या उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अपनी अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

यह देखा गया कि आठ अनुदानों के 12 मामलों में (परिशिष्ट-2.1), जहाँ ₹ 2,710.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं आया, जिसने सिद्ध किया कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

2.5.3 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग एक अनुदान के अंदर विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण है जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 11 अनुदानों के अंदर ₹ 3,883.10 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए। ₹ 4.30 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किए गए।

वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छः अनुदानों में (जिनमें प्रत्येक मामले में अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी) 16 उप-शीर्षों (परिशिष्ट-2.2) के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई, क्योंकि व्यय या तो मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के बराबर था या वहाँ तक नहीं आया था। इसके अतिरिक्त, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप ₹ 1,445.72 करोड़ (₹ 889.10 करोड़ के पुनर्विनियोग सहित) का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया का संकेत था।

इसके अतिरिक्त, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' के लिए विनियोग लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि राजस्व और पूंजीगत दत्तमत खंड के 31 उप-शीर्षों में, छह उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 252.51 करोड़ (2022-23), सोलह उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 358.71 करोड़ (2023-24) और नौ उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 556.54 करोड़ (2024-25) का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल/अनुपूरक अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और इनमें से 26 मामलों में विभाग अपने मूल अनुदान का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके (परिशिष्ट-2.3)।

2.5.4 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

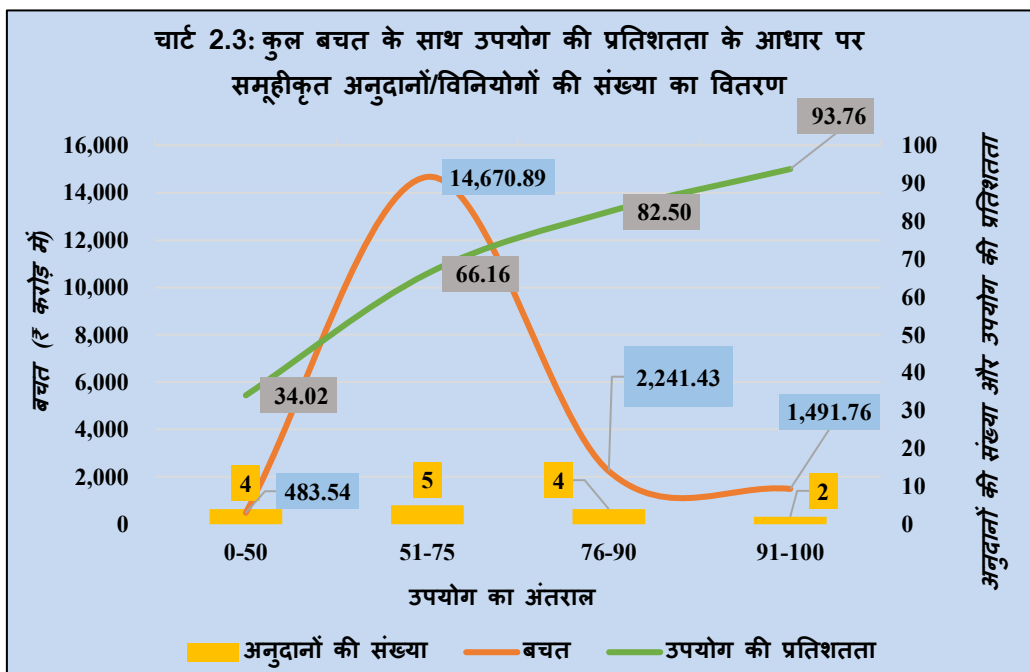
बजट प्रस्तावों को व्यय की गुणवत्ता को संतुलित करने और बजटीय निधियों के अल्प उपयोग को कम करने के लिए सभी पूर्वानुमानित व्यय को उचित व्यय स्तरों के अनुरूप अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यय करने

वाली इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण अनुमोदित बजट के अंदर इष्टतम पुनराबंटन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

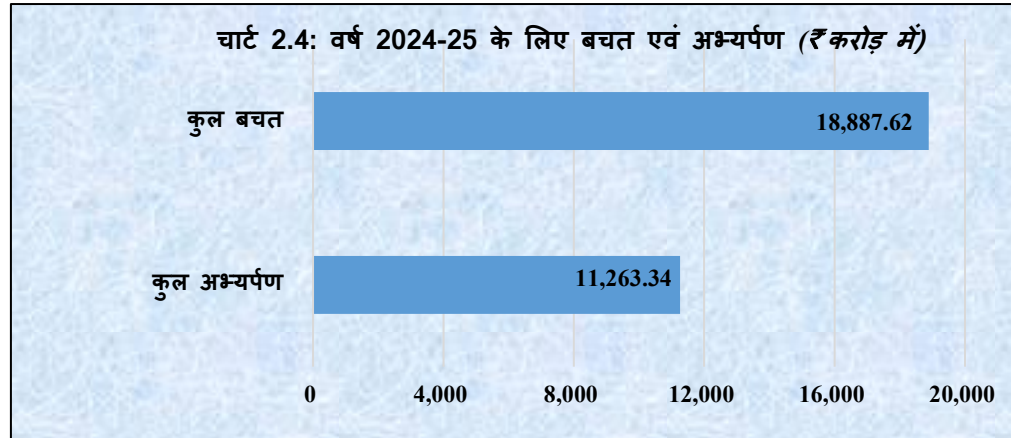
अनुदान और विनियोग के विश्लेषण से पता चला है कि आठ मामलों (छह अनुदानों के अंतर्गत) में, वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 67,786.67 करोड़ था, वास्तविक व्यय ₹ 51,195.16 करोड़ था और बचत ₹ 16,591.51 करोड़ थी। प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (अभ्यर्पण के पश्चात्) ₹ 6,748.82 करोड़ थी (परिशिष्ट 2.4)।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि 2020-21 से 2024-25 के दौरान सात अनुदानों के अंतर्गत आठ मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई थी (परिशिष्ट-2.5)।

2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण परिशिष्ट 2.6 और चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।



यह देखा गया कि दस अनुदानों के अंतर्गत 20 मामलों में ₹ 7,590.45 करोड़ (परिशिष्ट 2.7) की बचत को बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं किया गया था। मार्च 2025 के अंतिम दिन कोई अभ्यर्पण स्वीकार नहीं किया गया था।



स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' के विनियोग लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई थी (परिशिष्ट-2.8)।

अल्प उपयोग के बाद पुनर्विनियोग का पुनरावृत्त पैटर्न अपर्याप्त पूर्वानुमान और योजना, वास्तविक समय व्यय ट्रैकिंग का आभाव और कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को दर्शाता है।

2.5.5 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्तपोषण

योजना दिशा-निर्देशों/कार्य-रीतियों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू न होने, बजट आबंटित न किए जाने आदि के कारण सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलों को पूर्ण या आंशिक रूप से निष्पादित नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 32 योजनाओं में, ₹ 1,517.85 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ दो करोड़ या अधिक) का परिशोधित परिव्यय था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.9** में दर्शाया गया है।

शीर्ष पांच योजनाएं जो संपूर्ण परिशोधित प्रावधान का उपयोग न करने के कारण शुरू नहीं हुईं, वे थीं - (i) जेआईसीए ऋण की चुकौती के लिए डीएमआरसी को

अधीनस्थ ऋण (₹ 951.00 करोड़) (ii) पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (केंद्रीय शेयर योजना) (₹ 150.00 करोड़) (iii) विशेष उत्कृष्टता वाले विद्यालय को सहायता अनुदान (₹ 40.02 करोड़) (iv) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता (राज्य का हिस्सा) (₹ 40.00 करोड़) (v) दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (₹ 39.00 करोड़)। ये योजनाएं प्रमुख या कार्यनीतिक पहल थीं और उनका कार्यान्वयन न करना निष्पादन योजना में गंभीर कमियों को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, सात अनुदानों के अंतर्गत 34 योजनाओं में, परिशोधित परिव्यय (परिशिष्ट-2.10) में ₹ 2,961.33 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था, जो निष्पादन की तैयारी के बिना किए जा रहे प्रारंभिक आबंटन और बजट घोषणाओं से पहले व्यवहार्यता मूल्यांकन के आभाव को उजागर करता है।

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-2.11** में दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान अनुमोदित परिव्यय में किए गए प्रावधानों को परिशोधित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिए जाने के भी उदाहरण थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.12** में दर्शाया गया है।

2.5.6 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

जीएफआर, 2017 के नियम 62 (3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

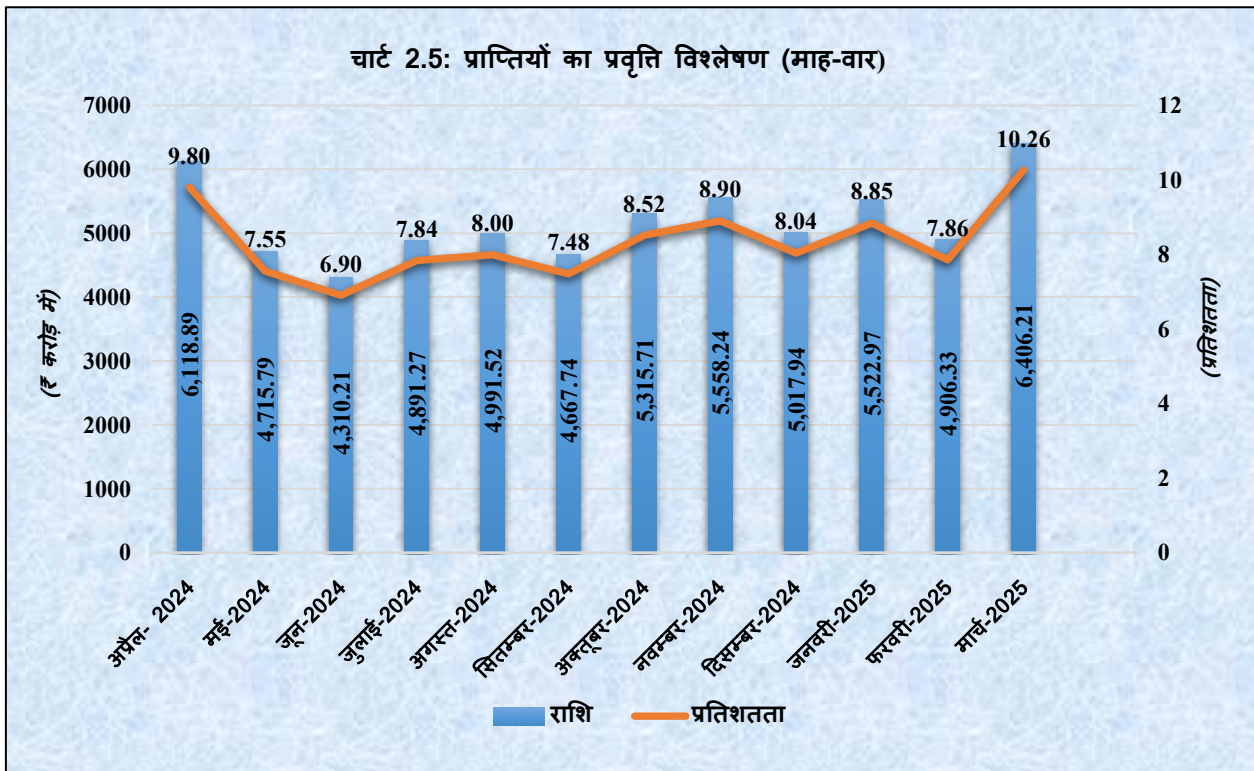
तालिका 2.5: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय की अधिकता

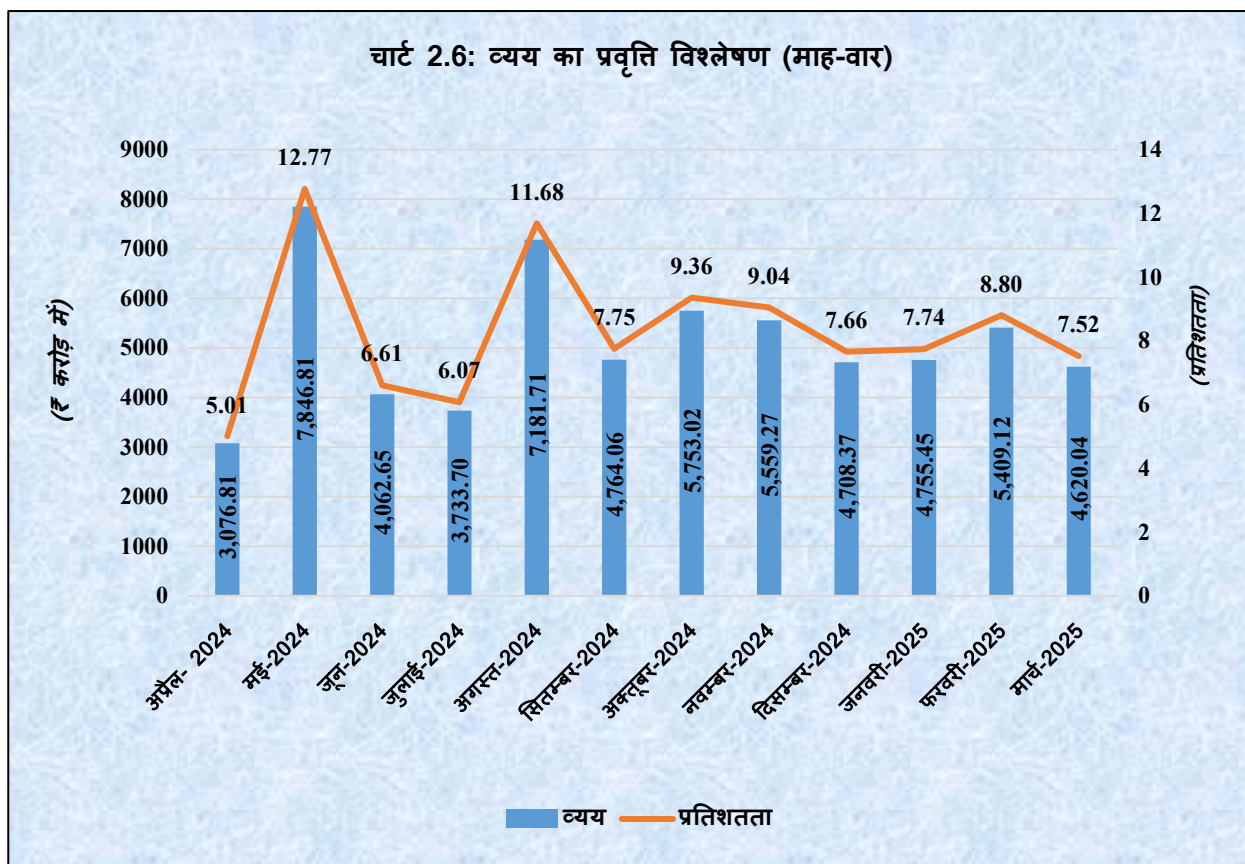
	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय की प्रतिशतता
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च-2025)	14,784.62	23.88
वर्ष का अंतिम माह (मार्च-2025)	4,620.04	7.46
वर्ष का अंतिम दिन (31 मार्च 2025)	440.17	0.71

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच अनुदानों के अंतर्गत 15 उप-शीर्षों में, ₹ 827.64 करोड़ के कुल व्यय में से, 2024-25 की अंतिम तिमाही में ₹ 606.23 करोड़ और मार्च 2025 में ₹ 597.92 करोड़ का व्यय किया गया था, जो **परिशिष्ट-2.13** में वर्णित कुल व्यय का 50 से 85.12 प्रतिशत तक था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन अनुदानों के अंतर्गत 6 उप-शीर्षों में ₹ 216.01 करोड़ का संपूर्ण व्यय मार्च 2025 में किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-2.14** में वर्णित है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.5 और 2.6 में दर्शाई गई हैं।



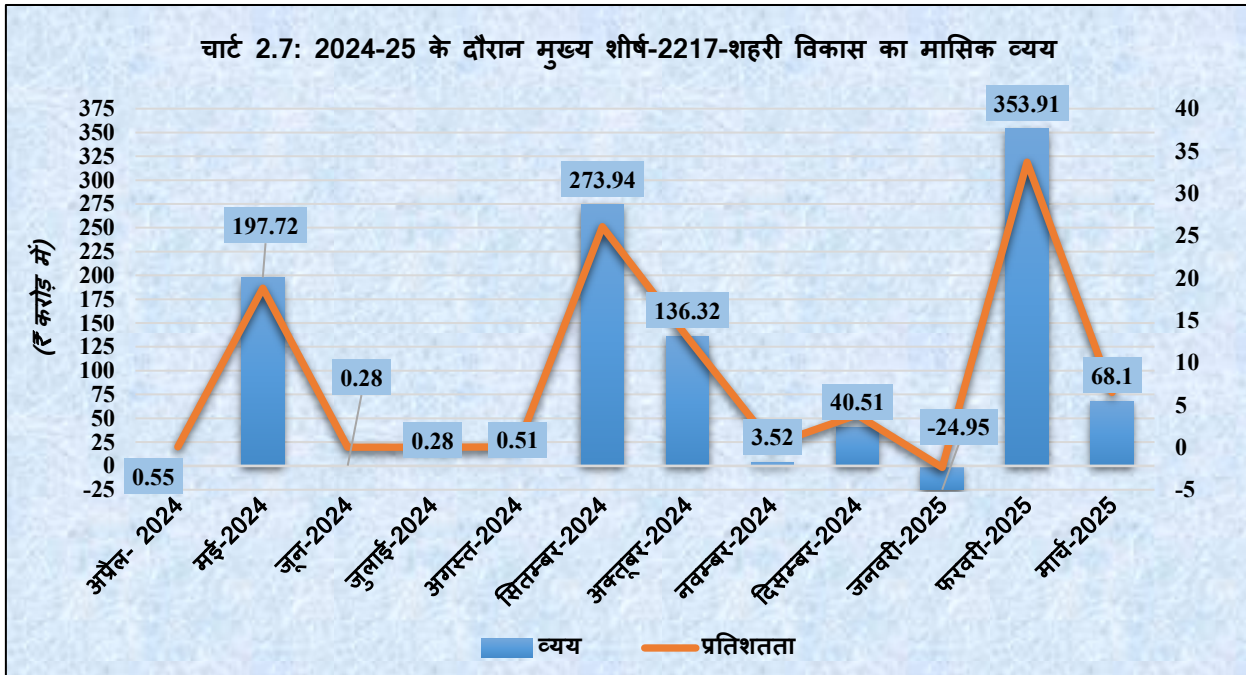


चार्ट 2.6 में दर्शाया गया मासिक व्यय कुछ हद तक एकसमान प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास और लोक निर्माण' (परिशिष्ट-2.15) के अंतर्गत 18 उप-शीर्षों में 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान अंतिम माह में 51 से 100 प्रतिशत तक व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान, केवल एक उप-शीर्ष में व्यय की अधिकता देखी गई और इस मामले में कुल स्वीकृत बजट का लगभग 100 प्रतिशत व्यय वर्ष के अंतिम माह में किया गया था। वर्ष के अंत में व्यय करने से व्यय की गुणवत्ता और प्रभावशीलता से समझौता हो सकता है और वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है।

इसके अतिरिक्त, 'अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण' के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास में व्यय की मासिक प्रवृत्ति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.7 मई 2024, सितंबर 2024 और फरवरी 2025 के महीनों के दौरान असामान्य वृद्धि के साथ व्यय की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है।

2.6 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में चयनित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया गया था।

तालिका 2.6: केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं	31.03.2025 तक अव्ययित शेष (2024-25 के दौरान कोषागार द्वारा एसएनए को जारी की गई कुल निधियों की प्रतिशतता के रूप में)	एसएनए खाते में केंद्रीय/ रा.रा.क्षे.दि.स. के हिस्से के अंतरण में विलंब (परिहार्य ब्याज देयता 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उद्गाह्य)*	एसएनए निधि पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया गया**	रा.रा.क्षे.दि.स. के कोषागार में भारत सरकार के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी	रा.रा.क्षे.दि.स. के कोषागार में राज्य के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी
1. पीएम पोषण	₹ 68.34 करोड़ (32.83 प्रतिशत)	9 दिन (₹ 4.14 लाख)	₹ 20.00 लाख	(-) 8.12 करोड़	(-) 6.78 करोड़
2. स्वच्छ भारत मिशन	₹ 68.25 करोड़ (34.40 प्रतिशत)	48 दिन (₹ 4.60 लाख)	₹ 1.03 करोड़	(+) 174.13 करोड़	(-) 28.62 करोड़

केंद्र प्रायोजित योजनाएं	31.03.2025 तक अव्ययित शेष (2024-25 के दौरान कोषागार द्वारा एसएनए को जारी की गई कुल निधियों की प्रतिशतता के रूप में)	एसएनए खाते में केंद्रीय/ रा.रा.क्षे.दि.स. के हिस्से के अंतरण में विलंब (परिहार्य ब्याज देयता 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उद्गाह्य)*	एसएनए निधि पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया गया**	रा.रा.क्षे.दि.स. के कोषागार में भारत सरकार के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी	रा.रा.क्षे.दि.स. के कोषागार में राज्य के हिस्से का प्रेषण (+) आधिक्य/ (-) कमी
(एसबीएम) - शहरी		23 दिन (₹ 77.91 लाख)			
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	₹ 43.43 करोड़ (222.77 प्रतिशत)	-	-	(-) 8.47 करोड़	0
4. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	₹ 45.31 करोड़ (9.57 प्रतिशत)	27 दिन (₹ 8.30 लाख)	₹ 3.59 लाख	(+) 10.93 करोड़	(+) 172.36 करोड़
5. पीएमएम वीवाई	₹ 7.61 करोड़ (14.70 प्रतिशत)	16 दिन (₹ 0.10 लाख)	₹ 5.23 लाख	(+) 11.38 करोड़	(+) 4.71 करोड़

*भारत सरकार द्वारा फरवरी 2023 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालन आवश्यक है।

**भारत सरकार द्वारा जून 2021 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालन आवश्यक है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में जांच की गई पांच चयनित योजनाओं के लिए, विभागों द्वारा प्राप्त निधियों का कुल 24.49 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा केंद्रीय/राज्य के हिस्से के हस्तांतरण में विलंब के कारण, योजनाओं के लिए संगत नियमों के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागत वहन करनी पड़ी। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ₹ 0.95 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता बनाई गई थी, जिसे अभी तक भारत सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के 2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसएनए में निधियों पर अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में वापस प्रेषित किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में जांच की गई पांच योजनाओं के लिए ₹ 1.32 करोड़ के अर्जित ब्याज को सीएफआई में वापस प्रेषित नहीं किया गया था।

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

वर्ष 2024-25 के लिए पीएफएमएस पोर्टल की रिपोर्टों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

- i. पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के खजाने में ₹ 1,484.05 करोड़ जारी किए गए थे, परंतु 2024-25 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में केवल ₹ 1,308 करोड़ अंतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 176.05 करोड़ का कम अंतरण हुआ। दो सीएसएस में, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 178.50 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके प्रति रा.रा.क्षे.दि.स. ने राज्य खजाने/पीएओ को केवल ₹ 140.31 करोड़ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य खजाने में ₹ 38.19 करोड़ का अल्प अंतरण हुआ।
- ii. पीएफएमएस एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 के दौरान एसएनए खातों में ₹ 902.83 करोड़ का अव्ययित शेष था।
- iii. एक ओर, रा.रा.क्षे.दि.स. ने नौ सीएसएस में अपने आनुपातिक राज्य हिस्से से अधिक ₹ 254.26 करोड़ की निधि का अंतरण किया और दूसरी ओर, रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आनुपातिक राज्य हिस्से के संबंध में नौ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 309.27 करोड़ की कम निधि का अंतरण किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 55.01 करोड़ का अल्प अंतरण हुआ।
- iv. एसएनए खातों में केंद्रीय हिस्से का अंतरण करने में 31 से 365 दिनों तक का विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 5.27 करोड़ की परिहार्य और अभी तक अभुक्त देयता बन गई।

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, पीएफएमएस प्रभाग के पत्र संख्या एफ.सं. 1(27)/पीएफएमएस/2020 दिनांक 13 जुलाई 2023 में परिकल्पना की गई है कि रा.रा.क्षे.दि.स. सीएसएस के अनुरूप प्रत्येक राज्य संबद्ध योजना (एसएलएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करेगा। 'एसएनए मॉडल' के अंतर्गत विद्यमान एसएनए को भी एसएनए-स्पर्श मॉडल के अंतर्गत एसएनए के रूप में नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2017 के नियम 230 (7) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "जहाँ तक संभव हो, सभी भुगतानों के संबंध में निधि के आबंटन के लिए 'जस्ट इन टाइम रिलीज' के सिद्धांतों" को लागू किया जाना चाहिए और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए प्रगतिशील तरीके से पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से सीएसएस निधियों के लिए एसएनए-स्पर्श नामक एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

एसएनए-स्पर्श पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की ऑन-बोर्डिंग की स्थिति के संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2025) के उत्तर में, वित्त विभाग ने कहा (दिसंबर 2025) कि:

- भारतीय रिज़र्व बैंक में सभी योजनाओं के लिए राज्य संबद्ध योजना (एसएलएस)-वार आहरण खाते खोले गए हैं।
- पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म का एपीआई एकीकरण पूरा हो गया है।
- सभी गैर-डीबीटी योजनाओं और खाता-आधारित डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजनाओं को पीएफएमएस के एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर संरूपित, मानचित्रित और सफलतापूर्वक ऑन-बोर्ड किया गया है।
- कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में मूल स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत भुगतान तदनुसार किए जा रहे हैं।

- आधार-आधारित डीबीटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर का एकीकरण पूरा होने के अंतिम चरण में है।
- एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर आधार-आधारित डीबीटी योजनाओं की ऑन-बोर्डिंग के लिए कार्यान्वयनकर्ता विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा ('अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण')

‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’ के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में अंतर का विश्लेषण किया गया।

क) परिचय:

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए ‘अनुदान सं.11-शहरी विकास और लोक निर्माण’, रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, ताकि अनुदान के अंदर बजट प्रक्रियाओं के अनुपालन, धन की निगरानी और नियंत्रण तंत्र का पता लगाया जा सके। अनुदान में निम्नलिखित लेखा शीर्ष शामिल हैं, अर्थात्, (i) 2052- शहरी विकास विभाग, (ii) 2216- आवास, (iii) 2059- लोक निर्माण, (iv) 2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, (v) 2235- भूमि और भवन विभाग, (vi) 2052- विद्युत विभाग और (vii) 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा।

ख) बजट और व्यय:

पिछले तीन वर्षों के लिए ‘अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण’ के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय और बचत की समग्र स्थिति तालिका 2.7 में दी गई है:

तालिका 2.7: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खंड	कुल प्रावधान	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान (प्रतिशतता)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	12,093.35	10,207.46	1,885.89 (15.59%)
	पूँजीगत (दत्तमत)	12,494.11	9,038.52	3,455.59 (27.66%)
	पूँजीगत (प्रभारित)	60.00	39.52	20.48 (34.13%)
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	13,022.90	11,063.79	1,959.11 (15.04%)
	पूँजीगत (दत्तमत)	12,552.21	7,405.78	5,146.43 (41.00%)
	पूँजीगत (प्रभारित)	125.00	124.97	0.03 (0%)
2024-25	राजस्व (दत्तमत)	14,128.42	10,364.82	3,763.60 (26.64%)
	पूँजीगत (दत्तमत)	8,462.32	4,810.81	3,651.51 (43.15%)
	पूँजीगत (प्रभारित)	31.25	31.24	0.01 (0%)

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.7 पूँजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 27.66 प्रतिशत (2022-23) से 43.15 प्रतिशत (2024-25) तक दर्शाती है, जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संसाधनों के अल्प उपयोग को दर्शाता है और विभाग द्वारा लगातार त्रुटिपूर्ण योजना का संकेत देता है। तीन वर्षों के लिए राजस्व (दत्तमत) बचत 15.04 प्रतिशत से 26.64 प्रतिशत के बीच रही।

ग) बचत का गैर-अभ्यर्पण:

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 62 (2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। संभावित भावी आधिक्य के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान 'अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण' के अंतर्गत बचत और अभ्यर्पण की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 2.8: 'अनुदान सं.11- शहरी विकास और लोक निर्माण'
के अंतर्गत बचत का गैर-अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत			अभ्यर्पित राशि (प्रतिशतता में)		
	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (प्रभारित)	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (प्रभारित)
2022-23	1,885.89	3,455.59	20.48	913.21	2,917.58	5.00
				(48.42)	(84.43)	(24.41)
2023-24	1,959.11	5,146.43	0.03	453.63	3,187.42	0.00
				(23.15)	(61.93)	(0.00)
2024-25	3,763.60	3,651.51	0.01	2,859.9	2,130.46	0.00
				(75.99)	(58.34)	(0.00)

स्रोत: विनियोग लेखे

2.8 आकस्मिकता निधि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी और रा.रा.क्षे.दि.स. ने अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली की आकस्मिकता निधि (नियमावली), 2018 को रा.रा.क्षे. दिल्ली की आकस्मिकता निधि में धन के भुगतान और उससे धन की निकासी से जुड़े या अनुषंगी सभी मामलों को विनियमित करने के लिए बनाया था। रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने पर निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। समग्र निधि ₹ 100.00 करोड़ है।

2.8.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल एक अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है, जिसे विधायिका द्वारा इसे प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अवांछनीय होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभागों द्वारा 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण और 2211- परिवार कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम के संबंध में आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में ₹ 49.61 करोड़ की राशि

निकाली गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक इस राशि की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की गई थी। किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: मुख्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
1	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.01
2	2202- सामान्य शिक्षा	15.75
3	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	31.08
4	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.64
5	2211- परिवार कल्याण	0.13
कुल		49.61

उन योजनाओं का विवरण जिनमें आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि निकाली गई थी, तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: उन योजनाओं का विवरण जिनमें आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि निकाली गई थी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	व्यय	बचत/आधिक्य	आकस्मिकता निधि से अग्रिम
1	मांग सं. 07: चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	08.07.2024 और 18.03.2025	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
2	मांग सं. 06: शिक्षा - 2202 सामान्य शिक्षा	20.09.2024	5.00	15.00	20.00	15.75	4.25	15.75
3	मांग सं. 08: समाज कल्याण - 4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	16.11.2024	0.00	32.00	32.00	31.08	0.92	31.08
4	मांग सं. 08: समाज कल्याण- 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	30.05.2024 और 18.03.2025	0.00	2.64	2.64	2.64	0.00	2.64
5	मांग सं. 07: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण - 2211 परिवार कल्याण	15.10.2024	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.13
कुल			5.00	49.78	54.78	49.61	5.17	49.61

उपर्युक्त योजनाएं आकस्मिकता निधि से निधियों के आहरण को न्यायोचित ठहराने वाले अप्रत्याशित और आकस्मिक स्वरूप का आभास नहीं देती हैं।

2.9 वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं

वाउचरों की लेखापरीक्षा के लिए, पांच वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् पीएओ-VI, X, XI, XII और XXII (विस्तृत समीक्षा के लिए चुने गए अनुदान, अर्थात् 'अनुदान सं. 11 - शहरी विकास और लोक निर्माण' का संचालन करने वाले) को मौद्रिक इकाई नमूना चयन के माध्यम से वाउचरों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। दो पीएओ में कोई ठोस अभ्युक्ति नहीं पाई गई और शेष तीन पीएओ में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

2.9.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-VI

i) सोपाधिक आवश्यकताओं के सत्यापन के बिना एमएलएलएडी निधि जारी करना

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. एमएलएलएडी योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को निधियां जारी करता है। योजना के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, धनराशि तीन किस्तों में जारी की जानी है:

- **पहली किस्त:** परियोजना/योजना की स्वीकृति के समय अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत
- **दूसरी किस्त:** काम सौंपने और शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर निविदा राशि का 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत की पहली किस्त को समायोजित करने के बाद)।
- **अंतिम किस्त:** कार्य समापन के समय शेष 50 प्रतिशत राशि।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड को जारी की गई निधियों से संबंधित वाउचरों की संवीक्षा से उपर्युक्त निर्धारित शर्तों से विचलन का पता चला। निधियों को जारी करने में विचलन सहायक दस्तावेजों की अपर्याप्त जांच और निधियों के संवितरण से पहले योजना के अंतर्गत निर्धारित सोपाधिक आवश्यकताओं का पालन न करने का संकेत देता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.11: अतिरिक्त निधियों का जारीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	बिल सं./दिनांक	अनुमानित लागत	योजना के अनुसार जारी की जाने वाली निधि	जारी की गई निधि	अतिरिक्त जारीकरण
1	बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड	जीआईए-902/ 20.09.2024 (जंगपुरा)	1.99	0.50 (पहली किस्त - 25 प्रतिशत)	1.12	0.62
2		जीआईए-903/ 20.09.2024 (जंगपुरा)	1.99	0.50 (दूसरी किस्त 50 प्रतिशत-पहली किस्त को घटाकर)	0.37	(-)0.13
3		जीआईए-2074/ 18.12.2024 (नजफगढ़)	1.85	0.46 (पहली किस्त- 25 प्रतिशत)	1.03	0.57

ii) सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना निधि जारी करना

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 3.1.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, लेखांकन की विभागीय प्रणाली में सभी भुगतान केवल मंत्रालय/विभाग के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा उचित पूर्व-जांच के पश्चात किए जाने हैं।

वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि प्रत्येक वाउचर में व्यय के स्वीकृति आदेश की केवल एक प्रति सम्मिलित थी। निधि जारी करने से पहले उचित सत्यापन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वाउचर के साथ सभी संगत सहायक दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं। ऐसी कमियों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.12: सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना निधि जारी करना

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष कोड	वाउचरों का विवरण	वाउचरों की संख्या	लाभार्थी	आवश्यक दस्तावेज
1.	73	एमएलएलएडी. योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए निधि का जारीकरण	99	पीएओ-22, डीयूएसआईबी, डीजेबी, एमसीडी, बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड	स्वीकृति का प्राधिकरण, निधि का उपयोग और भुगतान, भौतिक सत्यापन और जियो-टैगिंग
2.	31	जीआईए का जारीकरण - सामान्य	15	डीयूएसआईबी, एनडीएमसी, एमसीडी, डीसीबी, डीजेबी	सहायता का पैटर्न, उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.) (डीयूएसआईबी और डीसीबी को छोड़कर), स्वीकृति का प्राधिकरण

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष कोड	वाउचरों का विवरण	वाउचरों की संख्या	लाभार्थी	आवश्यक दस्तावेज़
3.	33	सब्सिडी का जारीकरण	01	डीजेबी	सब्सिडी खातों का मिलान, उ.प्र. के साथ अव्ययित शेष/व्यय का विवरण, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र जो यह पुष्टि करे कि सब्सिडी राशि का उपयोग लक्षित लाभार्थियों के लिए किया गया है।
4.	35	जीआईए का जारीकरण पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	08	डीजेबी, एसबीएम (यूडी), अमृत, एमसीडी	सहायता का पैटर्न, उ.प्र., पूंजीगत परियोजना के संबंध में भू-स्थानिक/जियोटैगिंग का विवरण
5.	36	जीआईए का जारीकरण- वेतन	01	एमसीडी	सहायता का पैटर्न, उ.प्र.

अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (सितंबर 2025) कि सरकारी निकायों को भुगतान किया जा रहा है, अतः, सहायक दस्तावेज़ों को निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रतिधारित किया जाता है और शहरी विकास विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वेतन एवं लेखा कार्यालयों को वित्तीय अभिरक्षकों की भूमिका सौंपी गई है, न कि केवल भुगतान के प्रसंस्करणकर्ता की। निष्पादन और सहायक दस्तावेज़ों का सत्यापन किए बिना, केवल व्यय स्वीकृति के आधार पर निधियां जारी करना, एक प्रक्रियात्मक चूक है और वित्तीय जवाबदेही को कमजोर करता है।

2.9.2 वेतन एवं लेखा कार्यालय-X और XII

i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी के तहत टीडीएस की अल्प/गैर-कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी में प्रावधान है कि कोई भी कार्य करने के लिए संविदाकारों को किए जाने वाले भुगतान से, (i) जहाँ किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को भुगतान किया जा रहा है या क्रेडिट दिया जा रहा है तो एक *प्रतिशत*; (ii) जहाँ एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को छोड़कर किसी अन्य को भुगतान किया जा रहा है या क्रेडिट दिया जा रहा है तो दो *प्रतिशत*, की दर से श्रमिक आपूर्ति सहित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाए। यदि एकल भुगतान ₹ 30,000 से अधिक नहीं है या किसी वित्त वर्ष

में कुल भुगतान ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं है, तो कोई कटौती की आवश्यकता नहीं है।

आकस्मिक बिलों और जनशक्ति को काम पर रखने से संबंधित वाउचरों की संवीक्षा से आयकर अधिनियम की धारा 194-सी के प्रावधानों के उल्लंघन में टीडीएस की अल्प कटौती और गैर-कटौती के उदाहरणों का पता चला। ऐसे मामलों का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 2.13: टीडीएस की अल्प/गैर-कटौती

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विक्रेता का नाम	बिल सं./दिनांक	बिल की राशि	वसूल की जाने वाली टीडीएस	काटी गई टीडीएस	अल्प कटौती
1	मेसर्स आर्मामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज	781/17.2.2025	25,249	505.00	428.00	77.00
		805/24.2.2025	1,75,854	3,517.00	2,981.00	536.00
2	मेसर्स कृष्णा एचआर सॉल्यूशंस	सीबी-141/10.06.2024	37,500	750.00	0.00	750.00
कुल				4,772.00	3,409.00	1,363.00

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2025) और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे मामले नहीं होंगे।

ii) मानक संख्यात्मक कोड का गैर-अनुपालन और व्यय बुकिंग में विसंगतियां

प्रधान लेखा कार्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया (जुलाई 2014) कि वे लेखांकन और व्यय बुकिंग में निरंतरता और सटीकता बनाए रखने के लिए सभी स्वीकृति आदेशों में मानकीकृत 15 अंकों वाले संख्यात्मक कोड का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 25 (1) में स्वीकृति के लिए निधियों का प्रावधान निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, व्यय के लिए सभी स्वीकृतियों में संगत अनुदान या विनियोग के प्रावधानों के विवरण का उल्लेख होगा, जहाँ से इस तरह के व्यय को पूरा किया जाना है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से संबंधित वाउचरों की संवीक्षा से निर्धारित निर्देशों से विचलनों का पता चला। कई मामलों में, निर्धारित 15-अंकीय मानक संख्यात्मक कोड के बजाय अल्फान्यूमेरिक या अपूर्ण कोड के साथ स्वीकृति आदेश जारी किए गए थे। आगे की जांच से यह भी पता चला कि कुछ मामलों में जैसा कि नीचे बताया गया है, स्वीकृति आदेशों में उल्लिखित कोड उनसे भिन्न थे जिनके अंतर्गत पीएओ द्वारा वास्तव में व्यय बुक किया गया था, जो एकरूपता के आभाव को दर्शाता है।

तालिका 2.14: मानक संख्यात्मक कोड का गैर-अनुपालन

क्रम सं.	बिल सं./दिनांक	लाभार्थी का नाम	स्वीकृति आदेश में उल्लिखित कोड	मानक संख्यात्मक कोड/बुकिंग कोड
1	एमबी-192/ 14.06.2024	तोहित खान, एल.डी.सी.	2059-चिकित्सा	205980001880006
2	एमबी-261/ 29.11.2024	शुभम यादव, जे.ई. (सिविल)	चिकित्सा	205980001880006
3	एमबी-444/ 12.01.2025	अनिल सिंह यादव, ए.ई. (सिविल)	2059 लोक निर्माण (चिकित्सा)	205980001880006
4	एमबी-192/ 10.10.2024	पवन कुमार, ई.ई. (सिविल)	चिकित्सा	205980001880006
5	एमबी-76/ 13.05.2024	विकास राणा, मुख्य अभियंता	205900095980006	205980001880006
6	एमबी-616/ 03.03.2025	प्रकाश चंद मीणा, ई.ई. (सिविल)	205900095980006	205980001880006

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, निर्धारित 15-अंकीय मानक संख्यात्मक कोड के अनुसार स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए गए थे। यह न केवल कोडीय प्रावधानों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है, बल्कि व्यय के गलत वर्गीकरण और बजट नियंत्रण और रिपोर्टिंग में विसंगतियों के जोखिम को भी बढ़ाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2025) और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे मामले नहीं होंगे।

2.10 निष्कर्ष

- 2024-25 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने विधायिका द्वारा अधिकृत कुल अनुदानों और विनियोगों का 76.62 प्रतिशत उपयोग किया, जब कि शेष 23.38 प्रतिशत अव्ययित रहा।

- ₹ 2,710.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।
- 32 योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 487.22 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय था, जिसे परिशोधित कर ₹ 1,517.85 करोड़ कर दिया गया, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 34 योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 2,961.33 करोड़ के परिव्यय को स्वीकृति दी गई थी, जिसे पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से पूरी तरह से वापस ले लिया गया, जिससे लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित कर दिया गया।
- वर्ष के अंत में व्यय में अधिकता थी। 15 उप-शीर्षों के अंतर्गत, 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2025 के महीने में किया गया था।

2.11 सिफारिशें

सरकार को चाहिए कि:

- (i) अधिक बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करें;
- (ii) अनुमान में अधिक सटीकता सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों की आवश्यकता को दूर किया जा सके;
- (iii) बजटीय अनुमान तैयार करते समय रा.रा.क्षे. दिल्ली में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कार्यनीतियां तैयार करने पर विचार करें; तथा
- (iv) वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए आवधिक निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का अनुपालन करें और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग भी सुनिश्चित करें।